आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

कमरा नं0, 7226 द्वितीय तल, खाद्य भवन शासन सचिवालय जयपुर – 302005 राजस्थान

क्रमांकः–भ0भण्डार 14(3)(1)/वाहन किराया/अभि/2024/ जयपुर, दिनांकः–

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सूचना

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में राजकीय यात्राओं के लिये किराये का वाहन उपलब्ध कराने के लिये व्यक्ति, फर्म, ट्रेवल एजेन्सी जो स्वयं के नाम से ट्रेक्सी के रुप में पंजीकृत वाहन रखते हो से दिंनाक **19.06.2024** को सांय **3:00** बजे तक प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन सायं **04:00** बजे विभागीय उपापन समिति के समक्ष खोले जायेगे।

किराये पर वाहन लिये जाने की शर्ते निम्नलिखित होंगी :–

1. वाहन किराये पर लेने पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रंमाक एफ 9(1)/एफ.डी–1(1)/बजट/2015 दिनांक 15.07. 2015 एवं एफ.2(4) एफडी/ एसपीफसी/2017 दिनांक 19.07.18, 28.02.19, 31.03.21 एवं 05.04.2022 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं दरें लागू होंगी। इन शर्तो के अनुसार न्यूनतम 1500 कि.मी. के लिये प्रति माह राशि रूपये 28,900/– तथा 1500 कि.मी. से अधिक कि.मी. के लिये रूपये 10.00/– प्रति कि.मी. देय होगी।
2. किराये के वाहन का मॉडल नवीनतम होगा। किसी भी स्थिति में वाहन छः वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।
3. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को वार्षिक व्यय की पांच प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. पथकर के सिवाय समस्त कर वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को वहन करने होंगे।
   वाहन के स्वामी/फर्म द्वारा संदत्त पथकर का पुनर्भरण पथकर के संदाय की रसीद के देने पर किया जायेगा।
5. सभी विधिक कटौतियां जैसे कि–आयकर, GST इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जावेगी।
6. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है।
   जयपुर मुख्यालय के अलावा अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि रूपये 300/– की राशि संदत्त की जायेगी।
7. वाहन का स्वामी/ठेकेदार/फर्म वाहन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो शास्ति रूपये 500/– प्रतिदिन अधिरोपित की जायेगी तथा विभाग किराये पर अन्य वाहन ले सकता है। यदि किराये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म से की जावेगी।
8. यदि वाहन सडक पर खडा हो जाता है तो वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को अन्य वाहन स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन की मरम्मत पेट्रोल, डीजल आदि व्यय वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म को ही वहन करने होंगे।
10. वाहन के स्वामी/ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रविष्टि के लिये निर्धारित लॉग शीट तीन प्रतियों में प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
11. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दरों में परिवर्तन करने पर नई दरें परिवर्तित दिनांक से लागू होंगी।
12. कर्त्तव्य स्थल से दूरी व समय की गणना की जायेगी।
13. वाहन के नियमानुसार गलत परिचालन की दशा में किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि, क्षति, दण्ड आदि के लिये वाहन स्वामी/ठेकेंदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. वाहन चालक, फर्म के स्वयं का होगा जिसके पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।
15. वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र एवं बीमा कम्पनी से इन्स्योर्ड होनी चाहिये।
16. निर्धारित प्रपत्र में 500/– अनुबन्ध सम्पादित करना होगा।

(सावित्री सिंह)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मु0) राजस्थान को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
राजस्थान,जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariate,
Jaipur(Rajasthan), Pincode: 302005, Phone & Fax: 0141-2227006
Email address: prosecution@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
6152039

Signature Not Verified
Digitally Signed by SAVITRI SINGH
Designation : Additional Director
Date :10-06-2024 06:20:07